भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1965
सोमवार, 13 मार्च, 2023 / 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों में छंटनी

1965. श्री एस. वेंकटेशन:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती नुसरत जहां:
श्री सु. थिरूनवुक्करासर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आईटी, सोशल मीडिया, एडूटेक फर्मों, देश ओर विदेश में ऑनलाइन शॉप ट्रेडर्स, स्टार्ट-अप कंपनियों और संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार कई बड़ी आईटी कांपनियों और ऑनलाइन रिटेल कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की अनैतिक और अवैध छंटनी से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी करने वाले श्रमिकों की कंपनी/सेक्टर-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने और इन श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और कंपनियों द्वारा अनैतिक और अवैध छंटनी पर कोई अध्ययन किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा और उनकी आजीविका को बचाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं; और

(च) क्या सरकार का भविष्य में बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगियों सहित नियोजन और छंटनी एक नियमित घटना है। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगियों से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के उपबंधों द्वारा शासित किए जाते हैं जिसमें कामगार की बर्खास्तगी और छंटनी से पूर्व की दशाओं के विभिन्न पहलूओं को भी विनियमित किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि वे बंदी, छंटनी या बर्खास्तगी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लें। इसके अलावा, किसी भी ऐसी छंटनी और बर्खास्तगी को अवैध माना जाता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न की गई हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बर्खास्त और छंटनी किए गए कामगार के लिए क्षतिपूर्ति के अधिकार का भी उपबंध है तथा इसमें छंटनी किए गए

कामगारों के पुन:नियोजन का उपबंध भी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में यथानिर्धारित उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों के आधार पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारें कामगारों की समस्याओं का निवारण करने हेतु कार्रवाईयां करती हैं और उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके हितों की रक्षा करती हैं। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है तथा यह बर्खास्तगी और इसके निवारण से संबंधित मामलों सहित कामगारों के हित की रक्षा करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों, सोशल मीडिया, एडु टेक फर्मों, ऑनलाइन शॉप व्यापारियों, स्टार्ट-अप कंपनियों और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त है।

*****